

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2003-भाद्र 3, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2003

क्रमांक 5294/21-अ/प्रारूपण/2003.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-8-2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. नाजपेयी, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 15 सन् 2003)

## छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम, 2003

वित्तीय वर्ष 2003-2004 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2003 (क्रमांक 15 सन् 2003) है.
- वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिये राज्य की संचित निधि में से 368,69,70,650 रूपयों का दिया जाना.
- विनियोग. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग तीन सौ अरसठ करोड़, उनहत्तर लाख, सत्तर हजार, छः सौ पचास रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की दावत वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.
3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग	
(1)	(2)	(3)	(3)		
		रूपये	रूपये	रूपये	
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	2,11,65,000	35,00,000	2,46,65,000
03	पुलिस	राजस्व	100	0	100
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,08,00,100	0	5,08,00,100
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,44,75,000	0	3,44,75,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	3,26,49,500	0	3,26,49,500
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
10	वन	राजस्व	6,55,00,100	0	6,55,00,100
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	61,31,000	0	61,31,000
		पूंजी	0	35,56,000	35,56,000
13	कृषि	राजस्व	19,67,000	0	19,67,000

(1)	(2)	(3)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	68,64,000	0	68,64,000
15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	100	0	100
16	मछली पालन	राजस्व	28,000	0	28,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	2,00,00,200	0	2,00,00,200
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	1,79,90,000	0	1,79,90,000
		पूंजी	100	0	100
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	72,00,00,000	19,77,000	72,19,77,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	20,00,000	0	20,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	97,06,000	0	97,06,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	8,14,96,000	0	8,14,96,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	17,97,86,100	0	17,97,86,100
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	50,00,100	0	50,00,100
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	57,19,000	0	57,19,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,95,00,000	0	1,95,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	1,10,27,000	0	1,10,27,000
37	पर्यटन	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,56,00,100	0	1,56,00,100
		पूंजी	0	0	0
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	8,10,19,400	0	8,10,19,400
		पूंजी	14,26,75,200	0	14,26,75,200
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	1,20,00,000	0	1,20,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग.	पूंजी	100	0	100
53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,04,97,000	1,88,000	5,06,85,000
		पूंजी	2,95,75,000	0	2,95,75,000

(1)	(2)	(3)		
		रुपये	रुपये	रुपये
56	ग्रामोद्योग राजस्व	1,46,28,650	0	1,46,28,650
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी 2,30,00,000	0	2,30,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व 5,99,00,000	0	5,99,00,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी 8,00,00,000	0	8,00,00,000
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना.	राजस्व 1,10,68,000 पूंजी 5,71,25,100	0	1,10,68,000 5,71,25,100
65	विमानन विभाग	राजस्व 100	0	100
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व 1,45,00,000	0	1,45,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी 12,12,72,000	0	12,12,72,000
68	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी 3,78,66,000	0	3,78,66,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व 14,00,00,000	0	14,00,00,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी 9,00,00,000	0	9,00,00,000
78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व 1,50,00,000	0	1,50,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व 6,73,00,200 पूंजी 55,00,000	0	6,73,00,200 55,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व 84,27,34,000	0	84,27,34,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व 40,36,84,000	0	40,36,84,000
82	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व 400	0	400
83	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व 3,50,00,000	0	3,50,00,000
योग	राजस्व	2,35,87,36,150	36,88,000	2,36,24,24,150
	पूंजी	1,31,90,13,500	55,33,000	1,32,45,46,500
बृहद योग		3,67,77,49,650	92,21,000	3,68,69,70,650

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त, 2003

क्रमांक 5294/21-अ/प्रारूपण/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र.-3) अधिनियम, 2003 (क्र. 15 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. वाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 15 of 2003)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2003

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2003-2004.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Fourth year of the Republic of India as follows :-

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2003 (No. 15 of 2003).  | Short title   |
| 2. | From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Three Hundred Sixty Eight Crore Sixty Nine Lakh Seventy Thousand Six Hundred Fifty rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2003-2004 in respect of services specified in column (2) of the schedule. | Issue of Rs. 368,69,70,650 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2003-2004. |
| 3. | The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.   | Appropriation.  |

THE SCHEDULE  
(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and purposes	Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total	
(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
01	General Administration	Revenue	2,11,65,000	35,00,000	2,46,65,000
03	Police	Revenue	100	0	100
04	Other expenditure pertaining to Home Department.	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	5,08,00,100	0	5,08,00,100
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	3,44,75,000	0	3,44,75,000
08	Land Revenue and District Administration.	Revenue	3,26,49,500	0	3,26,49,500
09	Expenditure pertaining to Revenue Department.	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
10	Forest	Revenue	6,55,00,100	0	6,55,00,100

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
11	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department.	Revenue Capital	61,31,000 0	0 35,56,000	61,31,000 35,56,000
13	Agriculture	Revenue	19,67,000	0	19,67,000
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	68,64,000	0	68,64,000
15	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under Special Component Plan for Scheduled Castes.	Revenue	100	0	100
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue	28,000	0	28,000
19	Public Health and Family Welfare.	Revenue	2,00,00,200	0	2,00,00,200
20	Public Health Engineering	Revenue Capital	1,79,90,000 100	0 0	1,79,90,000 100
23	Water Resources Department	Capital	72,00,00,000	19,77,000	72,19,77,000
24	Public works-Roads and bridges.	Capital	20,00,000	0	20,00,000
25	Expenditure pertaining to Mineral resources Department.	Revenue	50,00,000	0	50,00,000
26	Expenditure pertaining to Culture Department.	Revenue	97,06,000	0	97,06,000
27	School education	Revenue	8,14,96,000	0	8,14,96,000
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	17,97,86,100	0	17,97,86,100
30	Expenditure pertaining to Panchyat and Rural Development Department.	Revenue	50,00,100	0	50,00,100
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics Department.	Revenue	57,19,000	0	57,19,000
32	Expenditure pertaining to Public Relations Department.	Revenue	1,95,00,000	0	1,95,00,000
33	Expenditure pertaining to Tribal welfare Department.	Revenue	1,10,27,000	0	1,10,27,000
37	Tourism	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue Capital	1,56,00,100 0	0 0	1,56,00,100 0

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	8,10,19,400	0	8,10,19,400
		Capital	14,26,75,200	0	14,26,75,200
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department.	Revenue	1,20,00,000	0	1,20,00,000
45	Minor Irrigation Works	Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
47	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Capital	100	0	100
53	Financial assistance to Urban Revenue bodies under Special Component Plan for Scheduled Castes.		50,00,000	0	50,00,000
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	5,04,97,000	1,88,000	5,06,85,000
		Capital	2,95,75,000	0	2,95,75,000
56	Rural Industries	Revenue	1,46,28,650	0	1,46,28,650
57	Externally aided Projects pertaining to Water resources Department.	Capital	2,30,00,000	0	2,30,00,000
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	5,99,00,000	0	5,99,00,000
60	Expenditure pertaining to District plan schemes.	Capital	8,00,00,000	0	8,00,00,000
64	Special Component Plan For Scheduled Castes.	Revenue	1,10,68,000	0	1,10,68,000
		Capital	5,71,25,100	0	5,71,25,100
65	Aviation Department	Revenue	100	0	100
66	Welfare of Backward Classes.	Revenue	1,45,00,000	0	1,45,00,000
67	Public Works-Buildings	Capital	12,12,72,000	0	12,12,72,000
68	Public Works relating to Tribal Areas Sub-plan-buildings.	Capital	3,78,66,000	0	3,78,66,000
69	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department-Urban Welfare.	Revenue	14,00,00,000	0	14,00,00,000
75	NABARD aided Projects pertaining to Water Resources Department.	Capital	9,00,00,000	0	9,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
78	Externally Aided Projects pertaining to Rural Industries Department.	Revenue	1,50,00,000	0	1,50,00,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	6,73,00,200	0	6,73,00,200
		Capital	55,00,000	0	55,00,000
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	84,27,34,000	0	84,27,34,000
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	40,36,84,000	0	40,36,84,000
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	400	0	400
83	Financial assistance to urban bodies under the tribal area sub-plan.	Revenue	3,50,00,000	0	3,50,00,000
<b>Total</b>	Revenue		2,35,87,36,150	36,88,000	2,36,24,24,150
	Capital		1,31,90,13,500	55,33,000	1,32,45,46,500
<b>Grand Total</b>			3,67,77,49,650	92,21,000	3,68,69,70,650